



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-267994
CG-DL-E-27112025-267994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5243]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947

No. 5243]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRAHAYANA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5421(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3732 तारीख 13/08/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में NH46 के कि.मी. 0 से कि.मी.24.3 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख दैनिक थांथी और द हिंदू दिनांक: 19.09.2025 दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में NH46 के कि.मी. 0 से कि.मी.24.3 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: कृष्णागिरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कृष्णागिरी					
गांव का नाम: ओररपम					
1	398/1ए	निजी	ड्राय	0.008	धनलक्ष्मीअम्मल डबल्यू/ओ.दुरैसामी, दुरई इलम थेंड्रल डी/ओ. दुरैसामी, दुरई इलम पारुथी एस्/ओ. दुरैसामी, दुरई इलम चेज़ियान एस्/ओ.दुरैसामी, दुरई इलम मरण एस्/ओ. दुरैसामी & कनिमोझी डबल्यू/ओ. बालासुब्रमण्यम 398/1A1A
2	398/1बी	निजी	ड्राय	0.0091	लक्ष्मणन एस्/ओ.पेरूमल गौंडर 398/1B1
3	398/1सी	निजी	ड्राय	0.007	जोथिलक्ष्मी डबल्यू/ओ. अरुणागिरी 398/1C1
4	398/2ए	निजी	ड्राय	0.0162	महेस्वरी डबल्यू/ओ. लक्ष्मणा चेट्टी

					398/2A1
5	398/2बी	निजी	ड्राय	0.0123	विनोदकुमार एस्/ओ वेंकटेशन 398/2B1
6	398/2सी	निजी	ड्राय	0.0099	सुमथी डबल्यू/ओ. कुमारेसन, मुरुगन एस्/ओ. चिनाथंवी & सेलान एस्/ओ. कुप्पुसामी 398/2C1
Total				0.0625	

[फा. सं. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KW/LA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5421(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 3732 Dated:13/08/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH46 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 24.3 in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in Daily Thanthi & The hindu dated:19.09.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH46 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 24.3 in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU			District: KRISHNAGIRI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Krishnagiri					

Village: Orrapam					
1	398/1A	Private	Dry	0.008	Dhanalakshmiammal W/o.Duraisamy, Durai Ilam Thendral D/o. Duraisamy, Durai Ilam Paruthi S/o. Duraisamy, Durai Ilam Chezhiyan S/o.Duraisamy, Durai Ilam Maran S/o. Duraisamy & Kanimozhi W/o. Balasubramaniam 398/1A1A
2	398/1B	Private	Dry	0.0091	Lakshmanan S/o.Perumal Gounder 398/1B1
3	398/1C	Private	Dry	0.007	Jothilakshmi W/o. Arunagiri 398/1C1
4	398/2A	Private	Dry	0.0162	Maheswari W/o. Lakshmana Chetty 398/2A1
5	398/2B	Private	Dry	0.0123	Vinothkumar S/o Venkatesan 398/2B1
6	398/2C	Private	Dry	0.0099	Sumathi W/o. Kumaresan, Murugan S/o. Chinathambi & Sellan S/o. Kuppusamy 398/2C1
Total				0.0625	

[F. No. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KW/LA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director